भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 540
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

गलत तरीके से अभियोजना और मुआवज़ा

540. **श्री हिबी ईडन :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय देशभर में ऐसे व्यक्तियों की संख्या का कोई रिकॉर्ड रखता है जिन्हें गलत तरीके से मुकदमों में फंसाया गया है यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में गलत तरीके से मुकदमों में फंसाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार की 'गलत तरीके से अभियोजन और मुआवजा' के संबंध में एक अलग कानून बनाने की योजना है ताकि विधि आयोग के सुझाव के अनुसार सीआरपीसी के तहत इस प्रकार गलत तरीके से मुकदमों में फंसाए गए व्यक्तियों के लिए मुआवजे के प्रावधान को शामिल किया जा सके ;

(ग) यदि हां, तो इसे लागू करने का रोडमैप क्या है और इसके तहत प्रावधान क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख) से (घ) : भारतीय विधि आयोग ने अगस्त 2018 में अपनी 277वीं रिपोर्ट (सदोष अभियोजन (न्याय की हत्या): विधिक उपचार) दी थी और यह सितंबर 2018 में गृह मंत्रालय में प्राप्त हुई थी। चूंकि आपराधिक विधियां और आपराधिक प्रक्रिया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, यह रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों/सघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। गृह मामलों पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने तारीख 23.06 2018 की अपनी 146वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता हैं। इससे पहले, संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में भी संबंधित अधिनियमों में खंडश : संशोधन के बजाय संसद में एक व्यापक विधान पेश करके देश की आपराधिक विधि में सुधार करने और उसे तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया था।

****